

न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद-06/2019

बबीता देवी.....वादी

बनाम

कमल राय वगैरह.....प्रतिवादीगण

28.03.24 अभिलेख आज प्रतिवादी सं0-1 की ओर से पक्षकार बनाए जाने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक-03.02.2023 तथा उसके तत्संबंधित वादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक-17.03.2023 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के वादी द्वारा दिनांक-05.11.2022 को मो0 सिया देवी पति कपिलदेव राय, ग्राम-पो0-इनायतपुर, थाना पटोरी, जिला समस्तीपुर को विक्रयविलेख द्वारा सत्तरह धूर भूमि, खाता 356, खेसरा पुराना 642 नया 1390 में अंतरित कर दिया गया है। अतः उन्हें वर्तमान वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में वादी ने निवेदन किया है कि मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने का अधिकार केवल वादी को है। अतः उपरोक्त आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने उपरोक्त विक्रयविलेख निष्पादित किए जाने के संबंध में कोई अपत्ति दर्ज नहीं की है तथा दिवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10'2' के अनुसार किसी भी पक्षकार के आवेदन पर यदि न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना था और शामिल नहीं किया गया है और उनकी वर्तमान वाद में उपस्थिति वाद के अंतिम एवं पूर्ण न्याय-निर्णयन हेतु आवश्यक है, वहाँ न्यायालय ऐसे पक्षकार को जोड़ सकेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बंदौरान मुकदमा वादी द्वारा विवादित भूमि का अंतरण उपरोक्त विक्रयविलेख द्वारा सिया देवी को किया गया है और अंतरती को विवादित भूमि में हित सृजित हो गया है। अतएव उनका पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना वाद के अंतिम एवं युक्तियुक्त न्याय-निर्णयन हेतु आवश्यक हैं तदनुसार उपरोक्त आवेदन स्वीकृत किया जाता है और कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि विवादित भूमि के उपरोक्त क्रेता मो0 सिया देवी पति कपिलदेव राय, ग्राम-पो0-इनायतपुर, थाना पटोरी, जिला समस्तीपुर का नाम बतौर प्रतिवादी सं0-4 प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के रूप में जोड़ें तथा वादी उनकी उपस्थिति के लिए आवश्यक सम्मन का आपेक्ष दाखिल करें।

वाद दिनांक-30-05-2024 वास्ते सम्मन का आपेक्ष दाखिल करने हेतु।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।

Later on
28-03-24

A chief with supported affidavit filed by PW2
Pappu w. keep it on record,
D.

50